



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2017/भाद्र 20, 1939

No. 765]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017/BHADRA 20, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सं. 30/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1144(अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं. 1129(अ), तारीख 5 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 29/2017-केंद्रीय कर, तारीख 5 सितंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, जुलाई, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कराधेय व्यक्तियों या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	ब्यौरे/विवरणी	कराधेय/रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्यौरे/विवरणी देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जी.एस.टी.आर.-1	जिसका आवर्त एक अरब रुपए से अधिक है जिसका आवर्त एक अरब रुपए तक है	3 अक्टूबर, 2017 तक 10 अक्टूबर, 2017 तक
2.	जी.एस.टी.आर.-2	सभी	31 अक्टूबर, 2017 तक
3.	जी.एस.टी.आर.-3	सभी	10 नवंबर, 2017 तक

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आवर्त" पद का वही अर्थ है, जो उसका पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (112) में है।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

No. 30/2017—Central Tax

G.S.R. 1144(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of notification No. 29/2017-Central Tax, dated the 5th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1129(E), dated the 5th September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, as specified in column (2) of the Table below for the month of July, 2017, for such class of taxable persons or registered persons, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Details/return	Class of taxable/registered persons	Time period for furnishing of details/return
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GSTR-1	Having turnover of more than one hundred crore rupees	Up to 3 rd October, 2017
		Having turnover of up to one hundred crore rupees	Up to 10 th October, 2017
2.	GSTR-2	All	Up to 31 st October, 2017
3.	GSTR-3	All	Up to 10 th November, 2017

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression “turnover” has the same meaning as assigned to it in clause (112) of section 2 of the aforesaid Act.

2. The extension of the time limit, for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.